3602

(विक्रय–पत्र)

विक्रीत क्षेत्रफल– 1.018 है0 का 3/5 भाग, कुल भाग
किस्म जमीन– सिंचित
दर– 25,00,000/–प्रति एकड

बैनामा प्रतिफल = 30,00,000/–
सरकारी मूल्य भूमि + बोरिंग + पेड = योग
37,74,000 + 8000 + 16,000 = 37,98,000/–
दस्तावेज का सिलसिला नं0.................

यह लेखपत्र आज दिनांक 08.04.2013 ई0 को संलग्न स्टाम्प में अंकित विवरणानुसार कुल देय रू0– 1,90,000/– के कुल स्टाम्प– 11 पन्नों पर बिक्रीत सम्पत्ति के सरकारी मूल्य कुल रू0 – 37,98,000/– पर अदा करते हुए श्री शशी कुमार वर्मा पुत्र श्री रघुवीर सरन व श्रीमती सुनीता वर्मा पत्नी श्री शशी कुमार वर्मा जाति– सोनार, पेशा– व्यापार/गृहणी, निवासीगण मौ0– विजयनगर कस्बा धनौरा, तहसील व परगना धनौरा जनपद अमरोहा (उ0 प्र0)...

विक्रेता/प्रथम पक्ष

नें रूपये– 30,00,000/– रू0 (तीस लाख रूपये)
की जिसके आधे रूपये – 15,00,000/–रू0 (पन्द्रह लाख रूपये)
होते है, प्रतिफल के बदले में श्री अमर सिंह मैमोरियल एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी, शेरपुर रोड धनौरा, अमरोहा द्वारा बाहैसियत प्रबन्धक श्रीमती अनीता पत्नी श्री अशोक कुमार जाति– सैनी निवासी मौ0– चामुण्डा, शेरपुर रोड धनौरा, तहसील व परगना धनौरा जनपद अमरोहा (उ0 प्र0)...

केता/द्वितीय पक्ष

के हक में ग्राम– शहबाजपुर गूजर, तहसील धनौरा जिला अमरोहा स्थित सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण संलग्न स्टाम्प में दिया गया है सम्बन्ध में निष्पादित किया।

जो कि (विकेता) प्रथम पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी है, और वह उस पर काबिज है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के अन्य भार विवाद एवं बन्धन आदि से मुक्त है, तथा इसको विक्रय करने का (विकेता) प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार प्राप्त है अतः (विकेता) प्रथम पक्ष को अपनी स्वेच्छा से प्रसन्नता से स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में खूब सोच समझकर अपनी आवश्यकता हेतु एवम् वर्तमान मूल्य पर इस सम्पत्ति को इससे सम्बन्धित समस्त स्वत्व अधिकारों एवम् हितो सहित बिना कोई विषय पर सुरक्षित रखें, संलग्न स्टाम्प पर अंकित प्रतिफल के बदले में (केता) द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दिया । अब इस सम्पत्ति से (विकेता) प्रथम पक्ष अथवा उसके किसी उत्तराधिकारियों का कोई वास्ता ताल्लुक किसी प्रकार का नही रहा है और न भविष्य में होगा। विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष विकेता नें अपना स्वामित्व व अधिपत्य हटाकर द्वितीय पक्ष केता का स्वामित्व व अधिपत्य करा दिया है। इस प्रकार बदल कब्जा अमल में आया अब यदि (विकेता) प्रथम पक्ष के स्वत्व, अधिकार के अभाव या त्रुटि के कारण या किसी भागीदार के उत्पन्न होंनें या अन्य किसी करण से बिकीत सम्पत्ति का कुल या उसका अंश (केता) द्वितीय पक्ष के अधिकार से निकल जावे या उस पर (केता) द्वितीय पक्ष को अधिकार ने मिले या किसी भार, जिसका स्पष्ट उल्लेख (विकेता) प्रथम पक्ष न किया हो (केता) द्वितीय पक्ष को चुकता करना पडे, ऐसी समस्त दशाओं में (केता) द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या अदालत द्वारा ले लेवे और अपनी हानि तथा व्यय भार सब मय हर्जा खर्चा अदालत, (विकेता) प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले । (विकेता) प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति न होगी ।

प्रथम पक्ष

सुनीता वर्मा

द्वितीय पक्ष

Anita

सत्यापित प्रति
पढ़ने वाला.....................
मिलान कर्ता.....................
उप निबन्धक धनौरा.....................